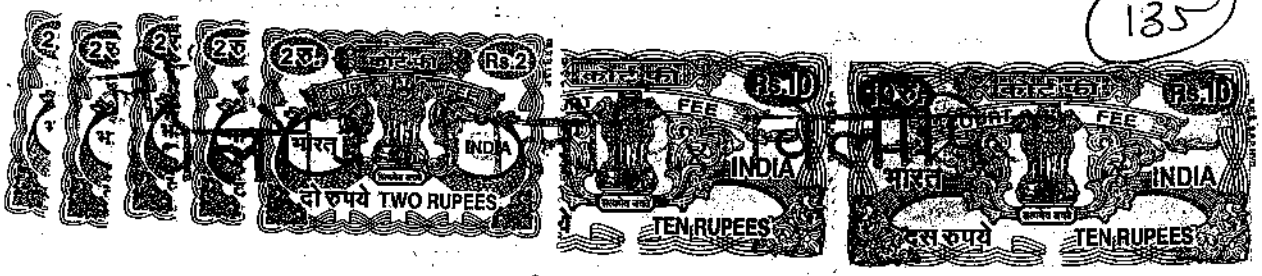

135

निग – 1464 – II – 16

न्यायालय् श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग.प्र. क्र.: सन् – 2016

भैया लाल तनय भूरे उर्फ भारेलाल तेली फौत
द्वारा वारसान – सुन्दर लाल तनय भैयालाल तेली
निवासी – बरद्वाहा, तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा – 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित आशय की अपील सादर प्रस्तुत करता है –

1. यह कि निगरानीकर्ता अपरा कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण क्रमांक 162/अ–67/91–92 में पारित आदेश दिनांक 31.10.92 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बरद्वाहा स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 रकवा 2.039 है0 भूमि स्थित ग्राम बरद्वाहा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. का पट्टा निगरानीकर्ता को वर्ष 1973–74 से 1983–84 तक 10 वर्षीय अस्थाई पट्टा प्रदान किया गया था। नयाब तहसीलदार राजनगर प्रभारी अधिकारी चन्द्रनगर द्वारा नमांतरण पंजी प्रविष्टि क्रमांक–7 में आदेश दिनांक 30.11.90 को प्रश्नाधीन उक्त भूमि पर भूमि स्वामी हक प्रदान किया गया था लेकिन अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.10.92 के द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 30.11.90 को प्रदान किये गये भूमि स्वामी हक के आदेश को निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

– निगरानी के आधार –

2. यह कि प्रश्नाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा फसल की मौआवजा राशि प्रार्थी के नाम से स्वीकृत न किये जाने से पूछने पर पटवारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज हो गई है तब माह अप्रैल 2016 दिनांक 17.04.2016 निगरानीकृत आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1464– एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
19–5–16	आवेदक भैयालाल तनय भूरे उर्फ भारेलाल तेली (मृतक) वारिसान सुन्दरलाल तनय भैयालाल तेली निवासी बरद्धाहा तहसील राजनगर जिला छतरपुर के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण कमांक 162/अ–67/91–92 में पारित आदेश 31.10.92 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– निगरानीकर्ता अधिवक्ता एवं शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता के धारा–5 अधिनियम के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये । प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में एवं आवेदन पत्र में विलंब के वर्णित कारण संतोष जनक होने से विलंब मांफ किया जाता है। 3–निगरानी कर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता को भूमि खसरा न0 142 रकवा 2.039 है0 वर्ष 1973–74 से 1983–84 तक 10 वर्षीय पटटे के लिये अस्थाई पटटे पर कृषि करने हेतु प्रदान की गई थी जिसे निगरानीकर्ता द्वारा अपनी मेहनत एवं लगन से कृषि योग्य बनाया था। निगरानीकर्ता	

को म0प्र0 शासन राजस्व 'शाखा (–2ए) विभाग के ज्ञाप कमांक –16–ए/84–सात/2ए भोपाल दिनांक 27.6.1984 के अनुसार पूर्व के जिन आवंटितियों को अभी भूमि स्वामी हक प्राप्त नहीं हुये हैं उनको भी पटटे के अधीन क्षेत्र के लिये भू–स्वामी हक अविलंब प्रदान किये जावें चाहे पटटे की अवधि कितनी हो। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर द्वारा प्रार्थी को प्रश्नाधीन भूमि का भूमि स्वामी दिनांक 30.11.90 को घोषित किया गया था वह विधि संगत आदेश था जिसे अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा निरस्त किये जाने में वैद्यानिक त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा वर्ष 1973–74 से वर्ष 1983–84 तक के लिये पटटे प्रदान किये प्रश्नाधीन भूमि के पटटे से संबंधित आदेश को लगभग 19 वर्षो वाद स्वप्रेरणा में निगरानी को लेकर उसे निरस्त किया गया है जबकि राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व पारित न्याय दृष्टांत 1996 रेवन्यू निर्णय पेज न0 80 के अनुसार स्वप्रेरणा में पुनरीक्षण की शक्ति 6 वर्ष के वाद उपयोग नहीं की जा सकती है । इसी प्रकार 2010 (4) एम.पी.एल.जे. पेज न0 179 में यह

निर्धारित किया है कि किसी आदेश के विरूद्ध स्वप्रेरणा निगरानी 180 दिन के अंदर स्वीकार की जा सकती है। इसके उपरांत विल्कुल नहीं जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 19 वर्षो के बाद निगरानीकर्ता को पूर्व में स्वीकृत पटट्ा एवं तहसीलदार राजनगर प्रभारी चन्द्र नगर द्वारा निगरानीकर्ता को आदेश दिनांक 30.11.90 द्वारा भूमि स्वामी घोषित किये जाने का आदेश निरस्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

5- अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया रिकार्ड का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता को भूमि खसरा न0 142 रकवा 2.039 है0 भूमि स्थित ग्राम बरद्वाहा तहसील राजनगर की भूमि का अस्थाई पटट्ा वर्ष 1973-74 से 1983-84 तक 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया था। म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कमांक -16-ए/84-सात/2ए भोपाल दिनांक 27.6. 1984 के पूर्व के समस्त पटटे् धारियों को भूमि स्वामी कि प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये थे। तहसीलदार राजनगर प्रभारी अधिकारी चन्द्र नगर को आदेश के पालन में तत्तकाल ही पटटे् धारी को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करना

थे, जो उसके द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 30.11.90 को उपरोक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये जो शासन के आदेशानुसार होने से स्थिर रखा जाता है । अतः अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन पर 19 वर्षो के बाद अत्यधिक विलंब से स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण कमांक 162/अ–67/91–92 विचारण में लेकर पारित आदेश दिनांक 31.10.92 द्वारा निगरानीकर्ता को भूमिस्वामी हक प्रदान किये जाने का आदेश दिनांक 30.11.90 प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 1996 आर.एन. पेज न0 80 एवं 2010 भाग –4 एम.पी.एल.जे. पेज न0 179 अतिविलंब से स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण दर्ज कर निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 31.10.92 निरस्त किया जाता है । भूमि खसरा न0 142 रकवा 2.039 है0 स्थित ग्राम बरद्वाहा तहसील राजनगर पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त किये जाने का तहसीलदार राजनगर आदेश दिनांक 30.11.90 स्थिर रखा जाता है और भैयालाल तनय भूरे उर्फ भारेलाल तेली के फौत होने से उसके पुत्र सुन्दरलाल तनय भैयालाल तेली को राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य